प्रेषिका,

नीतिका राजपूत
सिविल जज(अवर खंड),त्वरित न्यायालय,
न्याय कक्ष संख्या-01,
बुलंदशहर।

सेवा में,

आदरणीय महानिबंधक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा : माननीय जिला न्यायाधीश,
बुलंदशहर।

विषय : शासनादेश संख्या/ 1705दो20-4-1145-(12)/ 91टी०सी० लखनऊ, दिनांक 03.01.2012 एवं शासनादेश संख्या /1363दो45-2009-4-(12)/91 टी०सी० लखनऊ, दिनांक 13.05.2010 के अनुसार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में मेरे चयन के समय विधि स्नातकोत्तर (LL.M.) उपाधि धारक होने के कारण तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महंगाई भत्ता नियुक्ति की तिथि 15.11.2019 से प्रदत्त किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या 4055/ऐड्मिन (सर्विसेज़)/2019 दिनांकित 14.11.2019 के अनुपालन में प्रार्थिया ने दिनांक 15.11.2019 को अपर सिविल जज(अवर खंड), बुलंदशहर (Newly created Court created vide G.O. No.-10/2016/870/saat nyay-2-2016-85G/2012 Dated 06-07-2016) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था जो अब माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या-1859/admin.(services)/2020 दिनांकित 24.09.2020 के अनुपालन में सिविल जज(अवर खंड),त्वरित न्यायालय, बुलंदशहर के पद पर कार्यरत हैं। प्रार्थिया उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के समय विधि स्नातकोत्तर (LL.M.) होने के कारण पदभार ग्रहण करने की दिनांक 15.11.2019 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महंगाई भत्ता प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थिया द्वारा उपरोक्त विधि स्नातकोत्तर (LL.M.) उपाधि धारक होने के संबंध में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के आवेदन पत्र में भी वर्णित किया है।

इस संदर्भ में मेरे द्वारा पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को दिनांक 04.01.2020 को प्रार्थना पत्र लिखा जा चुका है।

अतः माननीय महोदय से सादर प्रार्थना है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रार्थिया को पदभार ग्रहण करने की दिनांक 15.11.2019 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महंगाई भत्ता

प्रदान करने हेतु समुचित आदेश पारित करने के लिए प्रार्थिया का उक्त प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर ।

भवदीया

दिनांक :- 21.01.2021

नीतिका राजपूत
सिविल जज (अवर खण्ड),त्वरित न्यायालय,
न्याय कक्ष संख्या-01 ,बुलंदशहर।

संलग्न -

1) विधि स्नातकोत्तर उपाधि की छायाप्रति ।
2) विधि स्नातकोत्तर परीक्षा के अंकपत्र की छायाप्रति ।